भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1140
दिनांक 24 जुलाई, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

स्वायत्तशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय

1140. श्री उत्कर्ष वर्मा मधुरः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उत्तर प्रदेश के लखीमपुर-खीरी जिले में स्थापित स्वायत्तशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए कार्डियोलॉजी और न्यूरोलॉजी जैसी सुपर स्पेशियलिटी विंग की स्थापना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार का प्रस्ताव इस चिकित्सा महाविद्यालय के बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने के लिए इसे केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत शामिल करके वित्तीय सहायता प्रदान करने का है, ताकि स्थानीय मरीजों को लखनऊ या दिल्ली रेफर न करना पड़े और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारत-नेपाल सीमा पर स्थित लखीमपुर-खीरी जिले के थारू बाहुल्य और दूरदराज के क्षेत्रों में मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए लागू की जा रही योजनाओं की ब्लॉक-वार प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस तराई क्षेत्र में हर साल फैलने वाले एन्सेफलाइटिस, डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार द्वारा जिले को प्रदान की गई सहायता राशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): जन स्वास्थ्य और अस्पताल राज्य के विषय हैं तथा जन स्वास्थ्य सुविधाकेंद्रों में मानव संसाधन की पर्याप्तता और सेवा उपलब्धता सहित स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को सुदृढ़ करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है।

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, स्वायत्त राज्य मेडिकल कॉलेज, लखीमपुर खीरी जिसकी वार्षिक प्रवेश क्षमता 100 एमबीबीएस छात्रों की है को स्नातक चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) द्वारा निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुसार स्थापित किया गया है। वर्तमान में कॉलेज एमबीबीएस शिक्षण के लिए एनएमसी विनियमों के तहत अनिवार्य विभागों, अवसंरचना और सुविधाकेंद्रों से सुसज्जित है। वर्तमान में, कॉलेज में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी आदि जैसे सुपर-स्पेशलिटी विभाग स्थापित नहीं किए गए हैं। कार्डियोलॉजी और न्यूरोलॉजी आदि जैसे रोगों से संबंधित गंभीर रोगियों का उपचार

सामान्य चिकित्सा विभाग के संकाय द्वारा किया जा रहा है और जिन रोगियों को सुपर-स्पेशलिस्ट परिचर्या की आवश्यकता होती है, उन्हें केजीएमयू लखनऊ/एसजीपीजीआई को रेफर किया जा रहा है।

(ग): राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत, भारत सरकार भारत-नेपाल सीमा के साथ स्थित लखीमपुर-खीरी के थारू बहुल और दूरस्थ क्षेत्रों सहित सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करती है जिनमें जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई), जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके), प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए), सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (सुमन) और मासिक ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण दिवस (वीएचएसएनडी) भी शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, प्रसवोत्तर परिचर्या का उद्देश्य माताओं में खतरे के संकेतों का पता लगाने और ऐसे उच्च-जोखिम वाली प्रसवोत्तर माताओं का शीघ्र पता लगाने, रेफरल और उपचार के लिए मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा) को प्रोत्साहन देकर प्रसवोत्तर परिचर्या की गुणवत्ता को सुदृढ़ करना है।

इसके अलावा, मातृ स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए अवसंरचना को मजबूत किया जाता है, जिसमें प्रथम रेफरल इकाइयों (एफआरयू) का क्रियान्वयन, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य (एमसीएच) विंग की स्थापना, प्रसूति उच्च निर्भरता इकाइयों और गहन परिचर्या इकाइयों (प्रसूति एचडीयू और आईसीयू) का क्रियान्वयन तथा स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाकेंद्रों तक बेहतर पहुँच और संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए दुर्गम भूभागों, दूरस्थ और आदिवासी क्षेत्रों में बर्थ वेटिंग होम्स (बीडब्ल्यूएच) की स्थापना शामिल है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत प्रजनन, नवजात, शिशु, किशोर स्वास्थ्य और पोषण (आरएमएनसीएच + एन) रणनीति के कार्यान्वयन में सहयोग करता है। उत्तर प्रदेश राज्य सहित देश भर में बाल स्वास्थ्य परिणामों में सुधार के लिए जैसे कि स्वास्थ्य केंद्र आधारित नवजात शिशु परिचर्या, कंगारू मदर केयर (केएमसी), समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (एसएसबीएसके), जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके) और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) 2.0 कार्यकलापों जैसी पहलों का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

(घ): राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को फ्लेक्सीबल पूल के अंतर्गत एकमुश्त आधार पर निधि जारी की जाती है ताकि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपनी अपेक्षाओं और प्राथमिकताओं के अनुसार निधि का उपयोग करने के लिए अधिक लचीलापन मिल सके।

वित्त वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीबीडीसीपी) के लिए उत्तर प्रदेश राज्य हेतु राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (एसपीआईपी) अनुमोदन और व्यय का विवरण नीचे दिया गया है:

(लाख रू. में)

वित्त वर्ष	एसपीआईपी अनुमोदन	व्यय
2023-24	15657.22	7731.20
2024-25	16396.44	6327.92
2025-26	18337.89	3191.08
